Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 15-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 10, 2018 (CHAITRA 20, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2018

संख्या आर्क–2018/6303.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम,1990, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1990 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 1 में, "नकनीकी'' शब्द के स्थान पर, "तकनीकी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

   (क) "आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;''।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप–नियम (1) में,–

   (i) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

      (च) सहायक नक्शानवीसों की दशा में,–

         (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

         (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानातंरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;" तथा

   (ii) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जायेगा।

   (iii) खण्ड (ज) को खण्ड (छ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं"।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	वास्तुक सहायक	13	—	13	लेवल—6/सैल—1= ₹ 35400+100/-₹ विशेष वेतन
2.	वरिष्ठ नक्शानवीस	13	2	15	लेवल—6/सैल—1= ₹35400
3.	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	—	1	1	लेवल—6/सैल—1= ₹35400
4.	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)	1	—	1	लेवल—6/सैल—1= ₹35400
5.	कनिष्ठ नक्शानवीस	23	2	25	लेवल—6/सैल—1= ₹35400
6.	सहायक नक्शानवीस	11	3	14	लेवल—6/सैल—1= ₹35400
7.	फैरो मुद्रक	1	—	1	लेवल—6/सैल—1= ₹19900"

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

(i) क्रम संख्या 6 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

3.	4.
"(i) वास्तुकला सहायकी (Assistantship) में उपाधि—पत्र (डिप्लोमा) ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;"	स्थानातंरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा — "(i) सहायक नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;"

(ii) क्रम संख्या 7 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; तथा

(iii) क्रम संख्या 8 को क्रम संख्या 7 के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।

9. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

" परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो,
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	वास्तुक सहायक	मुख्य वास्तुक	**(I) लघु शास्तियाँ** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। **(II) बड़ी शास्तियाँ** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
2.	वरिष्ठ नक्शानवीस					
3.	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)					
4.	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)					
5.	कनिष्ठ नक्शानवीस					
6.	सहायक नक्शानवीस					
7.	फैरो मुद्रक					

10. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, –

(i) क्रम संख्या 7 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) क्रम संख्या 8 को क्रम संख्या 7 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

आलोक निगम,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 20 मार्च, 2018.